(19)

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।

पत्रांक C-201 / अधि0 / ई–रिक्शा / 2017–18 दिनांक 23 फरवरी 2018

1. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।

2. सचिव / महाप्रबन्धक
   समस्त जिला सहकारी बैंक लि0,
   उत्तराखण्ड।

विषयः–प्रदेश में मुख्यमंत्री ई–रिक्शा जन कल्याण योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापना हेतु बेरोजगार युवक / युवतियों को रोजगार सृजन हेतु ई–रिक्शा उपलब्ध कराये जाने विषयक।

उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगार युवक / युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री ई–रिक्शा जन कल्याण योजना उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही है। योजना की नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

पात्रताः–

1. योजना के लिए स्थानीय बेरोजगार पात्र होगें।
2. पात्र व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. पहचान हेतु स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एवं वोटर आई0डी0 जिसमें स्थानीय पता अंकित हो अथवा बिजली का बिल, पानी का बिल जो पात्र व्यक्ति से सम्बंधित हो प्रस्तुत करना होगा। लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रदेश के ऐसे बेरोजगार जो शहरी अथवा अर्द्धशहरी / ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हों तथा किराये पर हों उन्हे किरायेनामे का प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. पात्र व्यक्ति का स्वयं का वैध ड्राईविंग लाईसेन्स।
5. लाभार्थी की आयु अधिकतम 55 वर्ष से अधिक न हो।

आवश्यक दस्तावेजः–

1. पहचान हेतु स्वप्रमाणित पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पास पोर्ट / राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र।
2. आवास की पहचान हेतु, टेलीफोन / बिजली बिल, सम्पत्ति कर हाऊस टैक्स रसीद।
3. सम्बन्धित डीलर / दुकानदार से ई–रिक्शा लेने हेतु कोटेशन।
4. व्यक्ति का सम्बन्धित सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा।

5. कोटेशन के साथ स्वयं का वैध ड्राईविंग लाईसैन्स।
6. दो फोटो अभ्यर्थी एवं जमानतियों के जो 06 माह से पूर्व का न हो।
7. ऋणी एवं दोनों गारण्टरों को बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनाया जाना अनिवार्य है।

प्रतिभूति :–

ऋणी की सुरक्षा हेतु 25000.00 रू0 (पच्चीस हजार रूपये) मात्र की सावधि जमा करानी होगी जिसकी अवधि 3 वर्ष होगी। साथ ही रु0 500.00 प्रतिमाह की आर0डी0 खाता शाखा में खुलवाना होगा। सम्पूर्ण ऋण अदायगी के पश्चात् बैंक द्वारा मु0 500.00 रू0 प्रतिमाह की दर से खोली गयी आर0डी0 एवं सावधि जमा की परिपक्वत्ता राशि ऋणी को अदा की जायेगा। ई–रिक्शा बैंक के पक्ष में बन्धक रहेगा एवं प्रत्येक ई–रिक्शा ऋण देने वाले सहकारी बैंक का नाम लिखवाना अनिवार्य होगा। ई–रिक्शा का बीमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

अवधिः– ऋण की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।

ब्याज दरः– वर्तमान में उक्त ऋण पर 9% की ब्याज दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा, तथा यह ब्याज दर बैंक द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयानुसार परिवर्तनीय होगीं।

ऋण का सेवा प्रभारः– मु0 1000.00 रूपये सेवा शुल्क लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

ऋण की अदायगी :– ऋण की अदायगी 200.00 रूपये प्रतिदिन के हिंसाब से अधिकतम 3 वर्ष तक अथवा सम्पूर्ण ऋण अदायगी की तिथि तक की जायेगी। इसी धनराशि में से रु0 500.00 आर0डी0 खाते में जमा कराये जायेंगे, जो कि 3 वर्ष उपरान्त सम्पूर्ण ऋण अदायगी के पश्चात ऋणी को ब्याज सहित भुगतान की जायेगी।

स्थानीय ई–रिक्शा डीलर से सहकारी बैंक निम्नलिखित शर्तो पर अनुबन्ध करेंगें –

1. ई–रिक्शा डीलर एल्यूमिनियम प्लेट पर वित्तपोषित बैंक का नाम अंकित करेगा। यह प्लेट ई–रिक्शे में डिस्प्ले होगी तथा प्लेट का मूल्य डीलर द्वारा अदा किया जायेगा।
2. ई–रिक्शे की कीमत में तृतीय पक्ष बीमा राशि तथा रिक्शे का रजिस्ट्रेशन सम्मिलित होगा, जो डीलर द्वारा अदा की जायेगी।
3. डीलर द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु शहर में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन कराये जायेगें, जिसकी लागत डीलर द्वारा अदा की जायेगी। विज्ञापन की भाषा शैली बैंक एवं डीलर द्वारा सहमति के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

योजना का लाभः–

1. स्थानीय स्तर पर बेरोजगार व्यक्त्ति को रोजगार प्राप्त होगा।
2. प्रथम दिन से ही व्यक्ति अपने ई–रिक्शे का मालिक होगा।
3. अधिकतम तीन वर्ष में 200/– रूपये प्रतिदिन किस्त अदायगी पर समस्त ऋण अदा हो जायेगा।

4. 25000.00 रूपये की एफ0डी0 तथा 500 रू0 की आर0डी0 3 वर्ष में पूर्ण होने लाभार्थी को परिपक्वता राशि अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।
5. ई–रिक्शे के मालिक बनने के साथ–साथ लाभार्थी को लगभग 50000.00 रूपये से अधिक की पूँजी प्राप्त होगी।
6. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बचत खाता में मु0 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर 2.00 लाख रू0 के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा।
7. 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थी बचत खाते पर मु0 330 रू0 प्रीमियम जमा करने पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा से लाभान्वित हो सकते है।

समस्त सहकारी बैंक उक्त योजना को अपने संचालक मण्डल से नियमानुसार ऋण नीति के रूप में अनुमोदित कराने के पश्चात कियान्वयन सुनिश्चित करेगें।

भवदीय

(बी0एम0मिश्र)
निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।

संख्या C-201 ई–रिक्शा/2017–18 तद्दिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल (नैनीताल)/गढ़वाल मण्डल (पौडी)।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6. परियोजना निदेशक, ग्राम्या एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना, पंडित वाड़ी, देहरादून।
7. समस्त उपनिबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड पत्रावली।

निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।